न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 49/2020

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

रामकिशोर पुत्र श्री रतनाराम जाति राईका निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल मुकाम देवासियों का मोहल्ला गोटन तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर	1. सीतादेवी पत्नी श्री रतनाराम जाति राईका निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति – वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 647 रकबा 3.2522 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। यह भूमि वादी के पिता रतनाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। रतनाराम जी के एक पुत्र रामकिशोर तथा पत्नी सीतादेवी है। खातेदार रतनाराम जी का देहान्त हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता रतनाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश स्वरूपराम पुत्र रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकिशोर पुत्र रतनाराम है। इसी प्रकार ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हेक्टेयर किस्म गै.मु. [illegible] खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। यह भूमि वादी के पिता रतनाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। रतनाराम जी के एक पुत्र रामकिशोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested

तथा पत्नी सीतादेवी है। खातेदार रतनाराम जी का देहान्त हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता रतनाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश स्वरूपराम पुत्र रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकिशोर पुत्र रतनाराम है। इसी प्रकार ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है। यह भूमि वादी के पिता रतनाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार रतनाराम जी का देहान्त हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता रतनाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश स्वरूपराम पुत्र रतनाराम नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकिशोर पुत्र रतनाराम है। वादी को घर में लाड प्यार से स्वरूपराम पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम रामकिशोर लिखा हुआ है। जब वादी के पिता रतनाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटीवश वादी का नाम स्वरूपराम लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो क अनुसार उसका वास्तविक नाम रामकिशोर है। वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पैनकार्ड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का पहचान पत्र आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम रामकिशोर लिखा हुआ है और जमाबन्दी में स्वरूपराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर न ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने स्वरूपराम के स्थान पर रामकिशोर नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी स्वरूपराम एव रामकिशोर एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 647, [illegible] 641, 402/1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested

एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वादी को घर पर लाड़ प्यार से स्वरूपराम पुकारते है, इस कारण वादी के पिता रतनाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय भूलवश या बीना जानकारी के वादी का नाम स्वरूपराम दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज रामकिशोर नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में अन्य सयुक्त खातेदारों का हिस्सा प्रभावित नही होता है इसलिए उक्त वाद में उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 647 रकबा 3.2522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर के सयुक्त राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रतनाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम स्वरूपराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर रामकिशोर का नाम रेकर्ड दर्ज करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब में तथ्य लिखा कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रतनाराम की घोषित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया कि राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रतनाराम की भूमि घोषित की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलो[illegible] गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार क[illegible] की आवश्यकता नही रही। वादी ने दावे के साथ जमाबन्दी [illegible]त् 2074 से 2077 खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested

647,640,641,402/1 आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, अंकतालिका सैकण्डरी 2006 आदि को पेश किया है। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम रामकिशोर दर्ज किया हुआ है। जमाबन्दी सवत् 2074 से 2077 में वादी की खातेदारी स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम रामकिशोर पुत्र रतनाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने रेकर्ड में दुरूस्त करने की सहमती प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 647 रकबा 3.2522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रतनाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

रामकिशोर पुत्र श्री रतनाराम जाति राईका निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल मुकाम देवासियों का मोहल्ला गोटन तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर

1. सीतादेवी पत्नी श्री रतनाराम जाति राईका निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 49/2020

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 647 रकबा 3.2522 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में स्वरूपराम पुत्र रतनाराम के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रतनाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible] सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			ख[illegible]वाहान		
फीस कमिश्नर			[illegible] कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			[illegible] हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested

			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नाट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:55 IST
Reason: SelfAttested